

## राज्य साख योजना 2017-18

### STATE CREDIT PLAN 2017-18

#### शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

**विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर**

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागु होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	जी हॉ
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. जिला
5	योजना का उद्देश्य	स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वयन की जा रही है। यदि नहीं तो यहाँ पर योजना कियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के सभी जिलों के लिए योजना संचालित।
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)	गरीबी रेखा के नीचे आय सीमा (BPL) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राही।
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, को ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिया जाता है।

11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाये ।	नहीं ।
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं ।	कृषि सम्बन्धित क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/सेवा क्षेत्र/परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में ।
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	व्यक्ति हितग्राही की ऋण सीमा रु. 50,000/- निर्धारित की गई है ।
14.	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधन है ।	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति) आदिवासी स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति) बैंक प्रवर्तित योजनाएँ हैं ।
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये हैं ।	आवश्यक नहीं पूर्व पर्टन पर है ।
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। राज्य सरकार के प्राधिकरण से वित्त पोषित शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना (जनजाति हेतु) तथा मिनीमाता स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जाति हेतु) संचालित की जाती है, इसके अतिरिक्त 16 व्यवसायिक प्रशिक्षण लक्षित वर्ग हेतु आर्थिक उत्थान (विभिन्न व्यवसायों) के लिये संचालित किये जाते हैं।

# राज्य साख योजना 2017-18

## STATE CREDIT PLAN 2017-18

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण  
विभाग का नाम :- छत्तीसगढ़ स्वादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित करें। Name of the Scheme with Sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	परिवार मूलक योजना Family Oriented Scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है? Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme ?	राज्य शासन State Government .
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. स्वादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड CG Khadi and Village Industries Board.
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme	छ.ग. स्वादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला अधिकारी District Officer of CG Khadi & Village Industries Board.
5	योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। Employment Generation in rural areas.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/ जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation	राज्य के सभी जिलों में योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। The scheme is being implemented in all the districts of the State.

7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष / महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. ( SF/MF/OF/SC/ST/Others/ Men/Women, etc.)</p>	<p>सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।</p> <p>All types of Beneficiaries.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम उम्र वाले तथा बैंक से डिफाल्टर न हो। साथ ही अन्य योजना से अनुदान का लाभ न लिया हो।</p> <p>18 years and under 45 years of age and is not a bank defaulter. He/her did not benefit from the scheme as well as other grants</p>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है?</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis or both.</p>	<p>व्यक्तिगत / समूह स्तर</p> <p>Both individual &amp; group basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये)</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को परियोजना लागत के 50% या अधिकतम रु. 13500/- अनुदान देय जो भी कम हो।</p> <p>Maximum subsidy Rs. 13500/- Subsidy is provided to SC/ST/OBC/ Minority Category family 50% subsidy of the project cost or Rs. 13500/- whichever is less.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि हों तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) लगाने का प्रावधान नहीं है।</p> <p>No provision of margin money.</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है?</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता है।</p> <p>Loan amount is provided by National Bank &amp; Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>अधिकतम एक लाख रुपये तक सीमा निर्धारित है।</p> <p>Maximum limit is Rs. 1.00 lacs.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है?</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>Loan is sanctioned to Beneficiaries as per Project Cost.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं?</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>आवश्यकता नहीं है।</p> <p>Not Applicable.</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details if any.</p>	<p>योजना का कियान्वयन बीस हजार से कम आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।</p> <p>Scheme implemented on Rural Areas, Population below twenty thousand.</p>

## राज्य साख योजना 2017-18

STATE CREDIT PLAN 2017-18

### शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

**विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी**

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p>	<p>1) बैंक ऋण पर फलोद्यान अ. केला ब. पपीता स. आम 2) अनुबंधित उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार योजना</p>
<p>Name of the scheme with Sub-Components, if any.</p>	<p>1) Fruit Plantation on Bank Loan Banana Papaya Mango 2) MOU of Aromatic Crops</p>
<p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p>	<p>1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना</p>
<p>Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?</p>	<p>1) State &amp; Central Govt. Scheme 2) State &amp; Central Govt. Scheme</p>
<p>3 राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p>	<p>उद्यानिकी (कृषि विभाग)</p>
<p>Nodal department/directorate at the State level responsible</p>	<p>Horticulture Department (Agriculture Department)</p>
<p>4 जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p>	<p>उप/सहायक संचालक उद्यान</p>
<p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>Dy./Asst. Director Horticulture</p>
<p>5 योजना का उद्देश्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* व्यवसायिक केलों की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* व्यवसायिक पपीता की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* व्यवसायिक आम की खेती को बढ़ावा देना</li> <li>* कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना</li> </ul>
<p>Objective of the Scheme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Banana</li> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Papaya</li> <li>* To Promote the Commercial Cultivation of Mango</li> <li>* Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers</li> </ul>
<p>6 क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।</p>	<p>1. अ – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ब – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। स – सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p>

	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	1. a - Being implemented in all Distt. b - Being implemented in all Distt. c - Being implemented in all Distt. 2. Being implemented in all Distt.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पुरुष/महिला आदि )	1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक । 2) सिंचाई साधन युक्त भू-स्वामी कृषक ।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Women etc.	1) All types of farmers alongwith irrigation facilities 2) Land holding farmers for identified crops.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) नाबाड़ द्वारा नियत मापदंड 2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू-स्वामी कृषक
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) व्यक्तिगत/समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1) Individual 2) Individual/Group
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।)	अ. अनुदान प्रति हे. 50000/-अधिकतम (लागत का 40 प्रति त अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में) तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हैं. हेतु अनुदान । ब. अनुदान प्रति हे. 30000/-अधिकतम (लागत का 50 प्रति त अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में) तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हैं. हेतु अनुदान । स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान रु.10937.50 जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50 द्वितीय वर्ष 1395/- एवं तृतीय वर्ष 1635/-रुपये चतुर्थ वर्ष 1897.50 एवं पंचम वर्ष में 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हैं. या 25 प्रतिशत अनुदान । 2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा ।
	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum  GOI Contribution State Government contribution	a. Per hectare Rs. 50000/- maximum (40% of cost norm in 2 installment ) & maximum up to 4 hectare. Subsidy per हेक्टर 50000/- b. Per hectare Rs. 30000/- maximum (50% of cost norm in 2 installment ) & maximum up to 4 hectare. Subsidy per हेक्टर 30000/- c. Per hectare subsidy is Rs. 10937.50 in which first year subsidy is 3967.50 for second year Rs. 1395/- 3rd year Rs.1635 /- 4th year Rs.1897.50 and 5th year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% 2. Maximam 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation. Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.

11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	नहीं
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. केले की बगीचे लगाना</li> <li>2. पपीता के बगीचे लगाना</li> <li>3. आम के बगीचे लगाना</li> <li>4. आम फलोद्यान एवं अंतराशस्य, पचौली, खस, लेमनग्रास, जामारोजा फसल लगावाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ.यू. के तहत सुनिश्चित करना।</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plantation of Banana.</li> <li>2. Plantation of Papaya.</li> <li>3. Plantation of Mango.</li> <li>4. Plantation of Mango and inter culture cropping, Pacholi, Khas, Lemongrass, Jamaroja and sale through MoU.</li> </ol>
13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. लागत रा० 1 रु. 125000/- प्रति हे. तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हैं. हेतु अनुदान</li> <li>2. लागत राशि रु. 60000/- प्रति हे. तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हैं. हेतु अनुदान</li> <li>3. रु. 43750/- प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 87500/-</li> </ol>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	हां Yes.
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	हां हां Yes Yes
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details, if any</p>	प्रति हे कॉस्ट लागत नाबाड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण मांग परिवर्तनीय होगा। कोई विशेष नहीं। The loan amount will change if NABARD changes the unit cost of the crop. No any prescribed details.

## राज्य साख योजना 2017–2018

### STATE CREDIT PLAN 2017–2018

#### शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

#### विभाग का नाम :— संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)	1) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई शासन योजना (द्विप सिंचाई) 2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 1 हाइटेक नर्सरी की स्थापना (4 हे.) 2. मशरूम स्पान यूनिट 3. संरक्षित खेती के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रणाली अन्तर्गत ट्युबलर स्ट्रक्चर का निर्माण 4. उद्यानिकी यंत्रीकरण 5. प्रिजरवेशन यूनिट (लो कास्ट) 6. कोल्ड स्टोरेज
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	1) Prime Minister drip Irrigation 2) 1. Model Nursery(4 Ha.) 2. Mushrooms Spawn Unit 3. Green House Structure under Protected Cultivation 4. Horticulture Mechanization 5. Prijarvation Unit (Low Cast) 6. Cold Storage Unit
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ?	1) State & Central Govt. Scheme 2) State & Central Govt. Scheme
3	राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/ सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture
5	योजना का उद्देश्य	उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना। उद्यानिकी फसलों का विकास एवं उत्पादन के पश्चात खराब होने से बचाने की योजना।
	Objective of the Scheme.	To increase Water used efficiency of available water . To protect crops after production.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासस्थङ्को के नाम दर्शाये जाए।	1. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. उन्नीस जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। (जगदलपुर, कोणडागांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जशपुर, कोरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं राजनांदगांव )

	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	<p><b>1. Being implemented in all Distt</b></p> <p><b>2. Being implemented in Nineteen District</b> (Bastar, Kondagoan, kabirdham, Bilaspur, Mungeli, Raigarh, Sarguja, Balrampur, Surajpur, Korba, Durg, Balod, Bemetara, Jashpur, Koriya, Raipur, Balodabazar, Gariyaband &amp; Rajnandgaon.</p>
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि।	1) सभी वर्ग के भू-स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/ Women etc.	All types of Land holding farmers.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) भू-स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खड़ी फसल हो।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1 – व्यक्तिगत स्तर पर 2 – व्यक्तिगत स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1. Individual. 2. Individual
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।	<p>1– संपूर्ण सहायता लागत के 40 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 5 हेक्टेयर तक देय होगा।</p> <p>2 1. एक (4 हे) नर्सरी हेतु रु 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख अधिकतम अनुदान।</p> <p>2. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 6.00 लाख अनुदान।</p> <p>3. प्रति हितग्राही दो इकाईयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रु. 2.65 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 500 वर्ग मीटर से अधिक न हो।)</p> <p>4. प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000/- एवं 20 हार्सपावर से अधिक की मशीनों हेतु अधिकतम रु. 1.50 लाख।</p> <p>5. नई यूनिट रु. 1.00 लाख प्रति यूनिट एवं उन्नयन हेतु 0.50 लाख प्रति यूनिट सहायता अनुदान।</p> <p>6. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 140.00 लाख।</p>

	<p>Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government contribution</p> <p>Credit linked back-ended subsidy @ 25 % of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribal Areas.</p> <p>b. Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribal Areas .</p>	<p>1- The assistant will be limited to 40 % of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area Covered under the crop by the farmer.</p> <p>2- 1. For 4 Ha. Nurse Rs. 40.00 Lac maximum</p> <p>2. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 6.00 Lac.</p> <p>3. limited to 2 units not to exceed 500 sq.m per beneficiary. @ 50 % subsidy maximum Rs 2.65 Lac.</p> <p>4. . @ 50 % subsidy of the cost limited to one set per beneficiary . maximum Rs. 0.75 Lac.&amp; . maximum Rs. 1.50 Lac for above 250 H.P. Machines.</p> <p>5. For new unit 1.00 lac per unit.</p> <p>6. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project 40 %. maximum Rs 140.00 Lac.</p>
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित हैं ।	<p>1. फल, सब्जियों, औषधि एवं सुरंगधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना ।</p> <p>2. कृषक प्रक्षेत्र पर कॉल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ।</p>
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	<p>1- Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's</p> <p>2- Establishment of Cold Storage in the farmer field .</p>
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	<p>1. रु. 26500/- प्रति हेक्टर के लिए 5 हेक्टर की अधिकतम</p> <p>2- 50.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही</p>
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.	<p>1 . Per beneficiary Rs. 26500/- per Hect. Max. upto 5 Hect.</p> <p>2. 140.00 Lakh per unit Per beneficiary</p>
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं ।	हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	कोई विशेष नहीं
	Additional details, if any	No any prescribed details

**राज्य साख योजना वर्ष 2017–18**  
**STATE CREDIT PLAN 2017-18**  
**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम:— उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर**

क्रमांक	विवरण	
1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नाम सहित (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए) <b>Name of the scheme with sub-Components, if any.</b>	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम <b>Prime Minister's Employment Generation Programme</b>
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । <b>Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme .</b>	भारत सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा प्रवर्तित है । <b>Yes,</b> <b>Government of India KVIC Sponsored Scheme.</b>
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग <b>Nodal Department/directorate at the State level responsible for Responsible for implementing the Scheme .</b>	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग <b>Khadi &amp; Village Industries Commision.</b>
4.	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग <b>Nodal office at the District level Responsible for Implementing the Scheme.</b>	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग <b>Khadi &amp; Village Industries Commision.</b> जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र <b>District Trade &amp; Industries Centre</b>

		खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड Khadi Gramodyog Board C.G.
5.	योजना का उद्देश्य <b>Objective of Scheme .</b>	नये स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं /सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना ।  <b>To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up of new self employment ventures/projects/micro enterprises.</b>
6.	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की रही है । यदि नहीं तो कहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाये ।  <b>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state? If no indicate the region/district/ blocks where the scheme is under implementation .</b>	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में योजना कियान्वित की जा रही है ।  <b>The scheme is being implemented in all 27 Districts of C.G. State.</b>
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं । (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग/पुरुष/महिला आदि)  <b>Type of beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/</b>	सभी वर्ग सामान्य, अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित हैं ।  <b>All categories General/SC/ST/OBC/</b>

	<b>Women etc.)</b>	<b>Women/Physically Handicapped etc. are covered under the scheme.</b>
8.	हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड, यदि को हो तो  <b>Eligibility criteria for the beneficiaries, if any</b>	1. उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। 2. विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित रु. 10.00 लाख से अधिक के परियोजनाओं तथा सेवा / व्यवसाय क्षेत्र में रु. 5.00 लाख से अधिक परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों को कम से कम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो।  <b>1- Age of beneficiaries should be above 18 year.</b> <b>2- For setting up of project costing above Rs. 10.00 lakhs in the manufacturing sector and above Rs. 5.00 lakhs in the business/ Service sector, the beneficiaries should process at least VIII Standard pass, education qualification</b>
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।  <b>Whether assistance is provided on andividual basis/group basis, or both .</b>	दोनों  Both
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे)  <b>Details of subsidy provided, if the</b>	सामान्य वर्ग— शहरी 15 %, ग्रामीण 25 %, विशेष वर्ग— 30जा0, 30ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि। शहरी 25 % ग्रामीण 35 %

	<p>subsidy is provided on the basis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution</p> <p><b>State Government Contribution</b></p>	<p>For General- urban sector- 15% rural sector- 25%</p> <p>For Special categories (SC/ST/OBC/Min./ Women/PH etc.)</p> <p>Urban sector- 25%</p> <p>Rural sector- 35%</p>
11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये।</p> <p><b>Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be</b></p>	<p>सामान्य वर्ग-10 % विशेष वर्ग- अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि 5 %</p> <p>General category 10% Special category (SC/ST/OBC/Women/etc.) 5%</p>
12.	<p>किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p><b>Type of economic activities envisaged under the scheme.</b></p>	<p>उद्योग / सेवा क्षेत्र</p> <p>Industries/Service sector</p>
13.	<p>कृपया व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p><b>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group If so please give details.</b></p>	<p>उद्योग हेतु अधिकतम रु. 25 लाख एवं सेवा/व्यवसाय हेतु अधिकतम रु. 10 लाख रुपये</p> <p>For Industries Maximum limit up to Rs. 25.00 lakhs</p> <p>For Service sector Maximum limit up to Rs.</p>

		<b>10.00 lakhs</b>
14.	<p>क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p><b>Whether any bank loan is envisaged under the scheme</b></p>	हाँ Yes
15.	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p><b>Whether any projects profile etc. have been prepared by the State Government for the use of beneficiaries .</b></p>	नहीं NO
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p><b>Additional details if any.</b></p>	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार मुम्बई से वित्तीय वर्ष 2017–18 में लक्ष्य प्राप्ति उपरांत जिलों को आंबटित किये जायेंगे।

**राज्य साख्य योजना वर्ष 2017-18**  
**STATE CREDIT PLAN 2017-18**  
**शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण**  
**विभाग का नाम :- उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर**

क्रमांक	विवरण	
1.	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नाम सहित (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p><b>Name of the scheme with sub-Components, if any.</b></p>	<p>मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना</p> <p><b>Mukhya-Mantri Yuva Swarojgar Yojna</b></p>
2.	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p><b>Whether it is a Government of India/ State Government Sponsored Scheme.</b></p>	<p>राज्य शासन</p> <p><b>Govt. of Chhattisgarh</b></p>
3.	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p><b>Nodal department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</b></p>	<p>वाणिज्य एवं उद्योग विभाग</p> <p><b>Department of Commerce &amp; Industries</b></p>
4.	<p>जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी</p>	<p>जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,</p>

	<p>नोडल विभाग</p> <p><b>Nodal office at the district level responsible for implementing the Scheme.</b></p>	<p><b>District Trade &amp; Industries Centre.</b></p>
5.	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p><b>Objective of scheme .</b></p>	<p>राज्य के युवा वर्ग को स्व-रोजगार के रूप में उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने में समग्र सहायता उपलब्ध कराना ।</p> <p><b>To provide letter/complete assistance to the youth in our state in the matter of attaining gainful self employment in setting up of industrial, service, business activities.</b></p>
6.	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है ? यदि नहीं तो कहाँ पर योजना कियान्वित की जा रही है , उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों का नाम दर्शाये जाये ।</p> <p><b>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state ? If no indicate the region/district/blocks where the scheme is under implementation.</b></p>	<p>हां, सभी 27 जिलों में ।</p> <p><b>Yes, in all 27 districts</b></p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं । (लघु कृषक/ सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित</p>	<p>सभी वर्ग, यथा, सामान्य, अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित हैं ।</p>

	<p>जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p><b>Type of beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/Other/ Men/Women etc.)</b></p>	<p><b>All category of population</b></p> <p>i. e. General/SC/ST/ OBC/Women/Physically handicapped etc. are covered under the scheme.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p><b>Eligibility criteria for the beneficiaries, If any.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।</li> <li>न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।</li> <li>आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष हो । (अजाऊ/अजजाऊ/अपिवो/महिला/निःशक्त जन/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु आयु की सीमा में 5 वर्ष में छूट )</li> <li>आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (कमनिसजमत) नहीं हो ।</li> <li>एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा ।</li> <li>आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे । आवेदक अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता—पिता, अविवाहित भाई—बहन की आय भी सम्मिलित होगी )</li> <li>आवेदक जिन्होंने प्रमंरोयो, प्रमंरोसूका, या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे ।</li> </ol>
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	व्यक्तिगत स्तर पर

	दी जाती है ।  <b>Whether assistance is provided on individual basis/group basis or both.</b>	<b>Only Individual basis</b>
--	--	------------------------------

10. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जावें)

**Details of subsidy provided, if the subsidy is provided on the basis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution.**

योजनांतर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्योगों हेतु भारत सरकार के केंद्रित गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राइजेस योजना के अंतर्गत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।

**(क) गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की सहायता निम्नानुसार दी जायेगी :-**

क्र.	हितग्राही की श्रेणी	भारत सरकार के केंद्रित गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क
1.	सभी वर्ग के लिये	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिये अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

**(ख) ब्याज अनुदान :-** बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उद्यम की स्थापना उपरांत राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा :-

क्र.	हितग्राही की श्रेणी	अनुदान/सीमा
1.	सामान्य वर्ग	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 5 प्रतिशत अनुदान (पांच वर्ष की अवधि तक)  <u>अधिकतम सीमा –</u>  सावधि ऋण पर – रु. 50000 प्रतिवर्ष कार्यशील पूँजी ऋण पर – रु. 25000 प्रतिवर्ष

2.	अ0जा0/अ0ज0जा0/ अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित—	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 8 प्रतिशत अनुदान (पांच वर्ष की अवधि तक)  <u>अधिकतम सीमा –</u>  सावधि ऋण पर – रु. 75000 प्रतिवर्ष कार्यशील पूंजी ऋण पर – रु. 40000 प्रतिवर्ष	
----	--	--	--

**(ग) मार्जिन मनी अनुदान—**

क्र.	हितग्राही की श्रेणी	मार्जिन मनी अनुदान	
1.	सामान्य वर्ग	बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.00 लाख तक	
2.	अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित—	बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख तक	
3.	अ0जा0/अ0ज0जा0 वर्ग	बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख तक	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये ।  <b>Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy beining provided if so, details there of may please be</b>	मार्जिन मनी अनुदान के अतिरिक्त मार्जिन मनी की पूर्ति हेतु शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी ।  <b>Out of total margin money difference amount of margin money subsidy amount will be paid by entrepreneur.</b>	
12.	किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत	उद्योग/सेवा/व्यवसाय	

	<b>अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the scheme.</b>	<b>Industries / Service / Business</b>
13.	<p>कृपया व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p><b>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower /group If so please give details.</b></p>	<p>उद्योग हेतु अधिकतम रूपये 25 लाख । सेवा कार्य हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख । व्यवसाय हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख ।</p> <p>For-</p> <p><b>Industrial activity max. 25 lakh Rs. Service activity max. 10 lakh Rs. Business activity max. 2 lakh Rs.</b></p>
14.	<p>क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ?</p> <p><b>Whether any bank loan is envisaged under the scheme</b></p>	<p>हां ।</p> <p>Yes.</p>
15.	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्राफाईल्स) तैयार कर लिये गये है ?</p> <p><b>Whether any projects profile etc. have been prepared by the state govt. for the use of beneficiaries?</b></p>	<p>नहीं ।</p> <p>No.</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p><b>Additional details if any.</b></p>	<p>वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जिलावार कुल 370 प्रकरणों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।</p>

## STATE CREDIT PLAN 2017-2018

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण – राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

विभाग का नाम :— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (01.04.2013 से प्रभावशील)

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following details sub-component-wise, if applicable)</p>	<p>राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (01.04.2013 से प्रभावशील)</p> <p>State rural Livelihood mission (w.e.f. 01.04.2013)</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है</p> <p>Government of India Sponsored Scheme.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State Government level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग</p> <p>Panchayat &amp; Rural Development Department</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal Office at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>समस्त जिला पंचायतें</p> <p>All Zila Panchayat</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>ग्रामीण गरीब परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना ।</p> <p>To provide economic assistance to rural poor families so as to enable them to tackle poverty issues.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions /districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>जी हॉ । राज्य की सभी 27 जिला पंचायतों के 146 विकासखंड में कियान्वित की जा रही है ।</p> <p>Yes, Implementing in 27 District Panchayat and all 146 Blocks of the State.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांन्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/ SC/ST/Other/Men/Women, etc.)</p>	<p>इसमें पी.आई.पी. के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।</p> <p>As per the 'Poorest of the Poor' families identified by the community.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility Criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>समस्त ग्रामीण गरीब महिलाएं।</p> <p>All Rural Poor women.</p>

9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती हैं ।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.</p>	<p>केवल समूह स्तर पर</p> <p>Assistance would be provided on group basis.</p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate(%)</p> <p>Minimum, Maximum, Gol Contribution, State Government Contribution</p>	<p>ब्याज अनुदान, ऋणों का तुरंत भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा। यह बैंक ऋण पी.एल.आर. तथा 7 प्रतिशत बैंचमार्क के अंतर का अनुदान रहेगा।</p> <p>Interest subsidy would be provided on the basis of prompt repayment. There will be a benchmark of 7% The difference between the PLR of Bank and 7%, would be interest subsidy.</p>
	भारत सरकार का अंशदान Government of India Share.	60 प्रतिशत 60%
	राज्य सरकार का अंशदान State Government Share.	40 प्रतिशत 40%
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>निरंक</p> <p>Nil</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme.</p>	<p>प्राइमरी सेक्टर, सेकेण्डरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर की उस विकास खण्ड हेतु चयनित कोई भी गतिविधि हेतु स्व- सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है ।</p> <p>Any economic activities identified by the SHG under primary, secondary and tertiary sector can be provided.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower /group. If so, please give details.</p>	<p>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । परियोजना की कुल लागत विनियोजन की आवश्यकतानुसार निर्धारित होती है ।</p> <p>No, ceiling has been fixed on financial outlay in National Rural Livelihoods Mission. Total cost of the project depends upon investment on project.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>जी हॉ ।</p> <p>Yes.</p>

//3//

15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।  Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use of beneficiaries.	जी हॉं इसके अंतर्गत समूह द्वारा स्वयं अपना माईक्रो क्रेडिट प्लान बनाया जावेगा।  Yes under this scheme the group will prepare micro credit plan. on its own.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।  Additional details, if any.	निरंक  Nil

## राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर (छ.ग.)

### मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन

#### विभाग का नाम:— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए )</p>	<p>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क्रियान्वित किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से 28 शहरों में लागू है। वर्ष 2016-17 से 111 निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन विभिन्न 5 घटकों से क्रियान्वित की जा रही है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार</li> <li>• सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास</li> <li>• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> <li>• स्व-रोजगार कार्यक्रम</li> <li>• शहरी पथ विकेताओं को सहायता</li> </ul>
<p>Name of the Scheme with sub-components,if any please give the following details sub-components wise if applicable.</p>	<p>The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12<sup>th</sup> Five year plan. The National Urban Livelihood Mission implemented in the State from 1<sup>st</sup> of April, 2014 in 28 cities. In FY 2016-17 State Sponsored- Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission is implementing under 5 components in 111 ULBs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employment through Skill Training &amp; Placement</li> <li>• Social Mobilization &amp; Institution Development</li> <li>• Capacity Building &amp; Training</li> <li>• Self Employment Programme</li> <li>• Support to Urban Street Vendors</li> </ul>
<p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।</p>	<p>यह योजना राज्य प्रवर्तित योजना है, इसमें राज्य सरकार का अंशदान 100 प्रतिशत है ।</p>
<p>Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>This is a State sponsored Scheme and the financing of the Mission shall borne by State in the ratio of 100%</p>

3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	At the State Government level for the implementation of Scheme, the State urban Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में 111 नगरीय निकायों में सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई गठित कर नोडल विभाग बनाये गये हैं।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	At the District level for the implementation of the Scheme, City Mission Management Unit will be formed under concerned 111 ULBs. City Mission Management Unit will work as Nodal agency.
5	योजना का उद्देश्य।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को जमीनी स्तर पर संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद स्वरोजगार और कौशल के आधार पर वेतन मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के 57 निकायों जिनमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू है, को छोड़कर शेष 111 निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन लागू की जा रही है।
	Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	State Sponsored- Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission is implementing in 111 ULBs except 57 NULM Mission Cities.

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत समिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग/ पुरुष /महिला आदि ।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विशेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विशेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) में स्वयं का रोजगार स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benefited under Programme called SEP- I (Self Employment Programme) Loan & Subsidy. 2-Women self Help groups are benefited under Programme SEP- G (Self Employment Programme Group) Loan & Subsidy.

10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें ।</p> <p>दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p>	<p>व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 2.00 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 10.00 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान दिया जाने का प्रावधान है।</p> <p>बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्वयं—सहायता समूहों पर भी लागू होगा। सभी शहरों में अपने ऋण का समय पर भुगतान करने वाले महिला समूहों को अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान प्रदान किये जावेगे।</p>
	<p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details Rate (%)</p> <p>Minimum</p> <p>Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>To establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 2.00 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 10.00 lakh.</p> <p>Interest Subsidy over and above 7 percent rate of interest will be applicable to all SHGs accessing bank loan. An additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs/ Individual who repay their loan in time in all the cities.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जायें ।</p>	<p>योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत उद्यम/परियोजना हेतु लागत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन अनुसार राशि रु. 50,000.00 तक कोई सीमान्त राशि (मार्जिन मनी नहीं लिये जाने का उल्लेख है। राशि रु. 50,000.00 से अधिक ऋण हेतु 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) लिये जाने का उल्लेख है।</p>
	<p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is nil up to Rs. 50,000.00 Loan and 5% to 10% above Rs. 50,000.00 Loan. Maximum 10% will be charged as margin money under the scheme.</p>

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रौद्योगिकी क्षण दिलाना, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता, केंद्रीय कार्ड के माध्यम से कार्य पील पूँजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाईड लाईन में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries will be supported for loan for manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड लाईन F.No. K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18.12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0.50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 2.00 लाख होगी।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guideline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड लाईन F.No. K-14014/58(10)/2012-UPA दिनांक 18.12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0.50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 2.00 लाख होगी।

	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	As per the guideline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA dated 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप-रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Annual Action plan for Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission will be approved by Director, Govt. of CG,UAD.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	—
	Additional details if any	—

## राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर (छ.ग.)

### शासन द्वारा राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजनाओं का विवरण

#### विभाग का नाम:— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए )</p>	<p>स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) कियान्वित किए जाने का निर्दे । प्राप्त हुआ है। दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रूप से लागू है। दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सात विभिन्न घटकों से कियान्वित की जा रही है :—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार</li> <li>• सामाजिक गति फ़िलता एवं संस्थागत विकास</li> <li>• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> <li>• स्व—रोजगार कार्यक्रम</li> <li>• शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना</li> <li>• शहरी पथ विकेताओं को सहायता</li> <li>• अभिनव और वि त्रै परियोजनाएं</li> </ul>
<p>Name of the Scheme with sub-components,if any please give the following details sub-components wise if applicable.</p>	<p>The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission in the 12<sup>th</sup> Five year plan. The Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission is implemented in the State from 1<sup>st</sup> of April, 2014. Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission is implemented under 7 components</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Employment through Skill Training &amp; Placement</li> <li>• Social Mobilization &amp; Institution Development</li> <li>• Capacity Building &amp; Training</li> <li>• Self Employment Programme</li> <li>• Shelter for Urban Homeless</li> <li>• Support to Urban Street Vendors</li> <li>• Special / innovative Projects</li> </ul>

2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशादान कमशः 60:40 निर्धारित किया गया है ।
	Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?	This is a Centrally sponsored Scheme and the financing of the Mission shall be shared between the Centre and the States/UTs in the ratio of 60:40.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	राज्य शासन स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	At the State Government level for the implementation of Scheme, State urban Development Agency is appointed as Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में नगरीय निकायों में सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई गठित कर नोडल विभाग बनाये गये हैं।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	At the District level for the implementation of the Scheme, City Mission Management Unit is formed under concerned ULBs. City Mission Management Unit is working as Nodal agency is the city.
5	योजना का उद्देश्य ।	दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को जमीनी स्तर पर संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद स्वरोजगार और कौशल के आधार पर वेतन मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	Objectives of Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission to reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.

6	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p>	<p>12 वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मि इन (एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालय नगरों एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी अन्य शहरों में कियान्वित किया जाएगा। विशिष्ट मामलों में राज्यों के अनुरोध पर अतिरिक्त शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 57 शहरों में लागू है, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं 30 शहर सम्मिलित हैं।</p>
	<p>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .</p>	<p>In the 12th Five Year Plan, Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission will be implemented in all District headquarter Towns and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 Census. However, other towns may be allowed in exceptional cases on request of the States.</p> <p>State the Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission is implemented in 57 cities, of which 27 District headquarter and other 30 cities are included.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरुष /महिला आदि ।</p>	<p>दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विशेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।</p>
	<p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)</p>	<p>The target population of the Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p>	<p>दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विशेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगों आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।</p>

	Eligibility criteria for the beneficiary, if any	The target population of the Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benefited under Programme called SEP- I (Self Employment Programme) Loan & Subsidy. 2-Women self groups are benefited under Programme SEP- G (Self Employment Programme Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राटि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । दर (%) न्यूनतम अधिकतम	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 2 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रुपए 10 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्वयं-सहायता समूहों पर भी लागू होगा। सभी शहरों में अपने ऋण का समय पर भुगतान करने वाले महिला समूहों को अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान प्रदान किये जावेगें।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	To establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 2.00 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 10.00 lakh.  Interest Subsidy over and above 7 percent rate of interest will be applicable to all SHGs accessing bank loan. An additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs/ Individual who repay their loan in time in all the cities.

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत उद्यम/परियोजना हेतु लागत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन अनुसार राशि रु. 50,000.00 तक कोई सीमान्त राशि (मार्जिन मनी नहीं लिये जाने का उल्लेख है। राशि रु. 50,000.00 से अधिक ऋण हेतु 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) लिये जाने का उल्लेख है।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is nil up to Rs. 50,000.00 Loan and 5% to 10% above Rs. 50,000.00 Loan. Maximum 10% will be charged as margin money under the scheme.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिलाना, शहरी पथ विकेताओं को सहायता, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्यशील पूँजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries will be supported for loan for manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18.12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guideline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA dated 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises.

14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18.12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any bank loan is envisaged unser the Scheme.	As per the guideline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA dated 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप-रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं।	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मि न वार्षिक कार्य योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशानुसार तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	The DAY-NULM Annual Action plan for FY 2017-18 is prepared as per the guideline of the Govt. of India and sent to Govt. of India MoHUPA for approval.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 57 शहरों में लागू है, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं अन्य 30 शहर सम्मिलित हैं। राज्य के शेष 111 निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेश के 12 अन्य निकायों को दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जोड़े जाने हेतु भारत सरकार, आवास एवं भाहरी गरीबी उप अमन मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया जाना है।

	<p>Additional details if any</p> <p>State the Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission is implemented in 57 cities, of which 27 District headquarter and 30 other ULBs is included as per the guideline. Rest 111 ULBs are not covered under DAY-NULM guideline.</p> <p>In order to cover 12 more ULBs, under DAY-NULM letter will be sent to Government of India, MoHUPA for approval.</p>
--	---

**राज्य साख योजना – 2017–18**  
**STATE CREDIT PLAN – 2017 –18**

**विभाग का नाम :— संचालनालय मछली पालन, नया रायपुर**

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए)</p> <p><b>Name of the scheme with sub-components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)</b></p>	<p>अंतर्देशीय मात्रिकी और जलकृषि का विकास</p> <p>“Development of Inland Fisheries and Aquaculture. “</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।</p> <p><b>Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?</b></p>	<p>केन्द्र प्रवर्तित योजना</p> <p>Centrally Sponsored Scheme</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।</p> <p><b>Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme</b></p>	<p>मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़</p> <p>Fisheries Department Chhattisgarh</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p><b>Nodal department at the District level responsible for implementing the Scheme</b></p>	<p>जिला मछली पालन अधिकारी ।</p> <p>District Fisheries officer.</p>
5	योजना का उद्देश्य	<p>अंतर्देशीय मात्रिकी और जलकृषि का विकास के उद्देश्य निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना ।</li> <li>पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना ।</li> <li>मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया है, सघन मछली पालन विधि अन्यावधि प्रशिक्षण योजना है ।</li> <li>मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूँजी के लिये बैंक से लम्बी अवधि को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना ।</li> </ol>

	<p><b>Objective of the Scheme</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition through fish culture.</li> <li>2. Barran water area are utilized through integrated fish farming.</li> <li>3. Identity fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training.</li> <li>4. Loan and subsidy will be provided for 1<sup>st</sup> year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.</li> </ol>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों विकासखंडों के नाम दर्शायें जाए ।</p> <p><b>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.</b></p>	<p>राज्य के सभी 27 जिले आ रहे हैं ।</p> <p>Development of inland fisheries and aquaculture is registered in all 27 districts of the state.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/ अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि )</p> <p><b>Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women etc.)</b></p>	<p>अन्तर्देशीय मात्रिकी और जल कृषि का विकास योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं को हितग्राही बनाया जाता है ।</p> <p>Under Development of inland fisheries and aquaculture Scheme beneficiaries are BPL class.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ?</p>	<p>गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति ।</li> <li>2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह ।</li> <li>3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विशेष ।</li> <li>4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति ।</li> <li>5. स्व सहायता समूह ।</li> </ol>

	<b>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</b>	Egibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:-  1. Society of fishermen ST/SC. 2. Group of fishermen ST/SC. 3. Individual fishermen ST/SC. 4. Migrated societies group/individual. 5. Self help group.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ?  <b>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis</b>	सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।  Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/groups/individual.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण । यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।  <b>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)</b>  <b>Minimum</b> <b>Maximum</b> <b>GOI contribution</b> <b>State Government contribution</b>	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क. 31013/02/2016fy(3) दिनांक 18.08.2016 की छायाप्रति संलग्न है । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही अन्तर्देशीय मात्रियकी और जल कृषि का विकास योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें से 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत हितग्राही द्वारा वहन किया जावेगा । Photocopy of letter no. 31035/4/2007-fy(3) of Govt. of India Agriculture Ministry, Veterinary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 50:50 basis between Govt. of India and State. the pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for Development of inland fisheries and aquaculture in the item no. 1 to 15 as follow:-  1. तालाबों का निर्माण – रु. 7.00 लाख /हेक्टेयर के मान से सभी वर्गों के लिये राजसहायता 3.50 लाख रु. प्रति हेक्टे.(50%) है । अन्य सभी वर्ग के लिये रु. 2 हेक्टे. की अधिकतम सीमा के साथ राजसहायता देय है ।  1. Construction of new ponds- Rs. 7.00 lakh/ha. for construction of pond. Under scheme subsidy @ of 50% with a ceiling of ha for all farmers Rs. 3.50 lakh/ha

	<p>2. तालाबों/टैकों का पुनर्झार/नवीनीकरण रु. 50000/हे.। अनुदान दर सभी किसानों के साथ 50 प्रतिशत की दर से रु. 25000 हेय।</p> <p>2. Reclamation/Renovation of ponds/tanks Rs. 50000/ha. subsidy @ of 50% with the sealing of Rs. 25000/ha.</p> <p>3. परिपूरक आहार हेतु :</p> <p>अ. मत्स्य पालक/झींगा पालन— रु. 15000/हे. अनुदान दर सभी किसानों को 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा रु. 75000/हे.</p> <p>3. Cast of inputs</p> <p>A. Finfish culture - Rs. 15000/ha. subsidy @ of 50% with the sealing of Rs. 75000/ha.</p> <p>4. ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी –</p> <p>मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फाई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रु. 25.00 लाख के साथ 50 प्रतिशत की दर से रु. 12.50 अनुदान सहायतार्थ केवल उद्यमियों को ।</p> <p>4. Fresh water fish seed hatchery : Rs. 25.00 lakh for a fish seed hatchery with Rs. 12-50 lakh for same capacity to entrepreneurs only.</p> <p>5. (अ) फिशफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 1-5 किंवद्दन/दिवस है अनुदान की दर 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को। (ब) फिशफिड यूनिट : बड़ी इकाई में फॉरम्युलेटेड पैलेटेड फिशफिड इकाई हेतु इकाई लागत रु. 1 करोड़/प्लाट जिसकी उत्पादन क्षमता 6-10 टन/घंटा, अनुदान की दर 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़/इकाई उद्यमियों को।</p> <p>5.(A) Fish Feed Unit : Small unit Uinit cost is Rs. 10.00 lakh with a capacity of 1-5 qintal/ day. The subsidy would be @ 50% with a sealing of Rs. 5.00 lakh/unit to enterprnure. (B) Fish Feed unit : large formulated pelleted feed unit cost is Rs. 1 crore/plant with capacity of 6-10 per hour. The subsidy would be 50% sealing of Rs. 1 crore/unit to enterprnure.</p>
--	--

		<p>6.टाउट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना –  (1) 25 मिलियन पीएल /वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रुपये है । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुश्त अनुदान ।</p> <p>(2) 5 मिलियन पीएल /वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 50.00 लाख रुपये है । केवल उद्यमियों को रु. 25.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50 प्रतिशत की दर से एक बार देय ।</p> <p><b>6. Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery:</b></p> <p>(1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level.</p> <p>(2) Unit cost of is Rs. 50.00 lakh for a small hatchery with 5 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 50% with the ceiling of Rs. 25.00 lakh to entrepreneur as one time grant.</p> <p>7.आलंकारिक / मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण—रु. 25 लाख प्रति ईकाइ । इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जाँच हेतु लैब की व्यवस्था । यह राज्य शासन के लिए उपलब्ध है ।</p> <p><b>7. Ornamental/fish seed certification- Rs. 25 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories.</b>  Available for the State Governments.</p>
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p><b>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.</b></p>	<p>नहीं ।</p> <p>No.</p>

12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p><b>Type of economic activities envisaged under the scheme</b></p>	<p>ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है।</p> <p>To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p><b>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.</b></p>	<p>कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत है।</p> <p>No ceiling has been fixed for individual/groups.</p>
14	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p><b>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</b></p>	<p>हां है।</p> <p>Yes.</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p><b>Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</b></p>	<p>हां</p> <p>Yes</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p><b>Additional details, if any.</b></p>	<p>नहीं है।</p> <p>No.</p>

# राज्य साख योजना 2017-18

## STATE CREDIT PLAN 2017-18

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ महिला कोष

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि योजना लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए ।)</p> <p>Name of the scheme with sub-Components, if any.</p>	<p>1. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :- संचालन छ.ग.महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है ।</p> <p>1. Loan scheme for Women SHG, which is conducted through CGMahila Kosh</p> <p>2. सक्षम योजना :- विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें ।</p> <p>2. Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 40 years which is conducted through CGMahila Kosh.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।</p> <p>Whether is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध कराई गई राशि से</p> <p>Through the fund made available to the C.G. Mahila kosh by State Government.</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>महिला एवं बाल विकास विभाग(छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालन)</p> <p>Women &amp; Child Development Department (conducted through CG Mahila Kosh)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरीदायी नोडल विभाग</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन जिला प्रबंधक छ.ग.महिला कोष</p> <p>District Officer Women &amp; Child Development Department ex-officio District Manager, CG mahila kosh</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>1. महिला स्व-सहायता समूहों के लिये ऋण योजना अंतर्गत - महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना</p> <p>1. Under the loan scheme for Women SHG - Empowerment of Women SHGs &amp; provide financial support for making women economically empowered.</p>

		<p>2. सक्षम योजना - ऐसी महिलायें जो जीवन-यापन में कठिनाई अनुभव कर रही है उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन के अवसर उपलब्ध कराना ।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna</b> – To provide the independent and prosperous life and living opportunity to the women who are living in disastrous condition</p>
6	<p>क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो जहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>समस्त 27 जिले</p> <p>All 27 Districts.</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men Women etc.)</p>	<p><b>ऋण योजना</b> – महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह ।</p> <p>1. <b>Rine Yojna</b> - Women SHGs under the loan scheme for SHGs.</p> <p>(i) महिला स्वयं सहायता समूह हेतु ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं एवं एच.आई.व्ही पीड़ित महिलाओं हेतु ऋण सुविधा</p> <p>(ii) Women SHGs under the loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive.</p> <p>2. <b>सक्षम योजना</b> - ऐसी महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें हैं ।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna</b> - Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years</p>
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड, यदि कोई हो तो	<p>A. महिला स्व सहायता समूहों के लिये ऋण योजना :- योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के</p>

लिए पात्र होंगे ।

**1. Loan Scheme for Women SHGs - Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan.**

2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे ।

**For taking loan application of only "A" grade group will be considered.**

3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे ।

**Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation.**

4. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे । इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा ।

**Self help group after payment of previous loan will again be eligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time.**

5. ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी का भी ध्यान रखा जायेगा । उदारहण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मुद्दे ।

**At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be kept in mind. for eg. education, Health, Nutrition, Environment and other social issues.**

6. स्वैच्छिक संगठन फर्मसू एवं सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों ।

**NGO should be registered under firms and societies registration Act and registration should have completed 3 years.**

7. स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास

विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।

**NGo should be recognized by Women & Child Development Department.**

8. स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा । पुराने कम से कम 25 स्वयं-सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे ।

**NGO's should be attached with formation of Women SHG & empowerment and should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerment. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible.**

9. स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हो ।

**Self Help group, which was constituted by NGO, should fulfill the prescribed norms.**

10. स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हो ।

**NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to sign agreement for the above said procedure.**

11. स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे । यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे । यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूर्ण होने की

स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा ।

**NGO can apply for loan application for 5 SHGs at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibility criteria District Loan Committee will forward the loan application with their recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter.**

**ब. सक्षम योजना :-**

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएँ, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो अविवाहित है अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें ।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 70 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम हो तथा परिवार में महिला की आयु 18 से 45 वर्ष हो
3. पति की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये ।
4. हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये ।
5. ऐसी महिला जिसने पति की मृत्यु उपरांत पुनः विवाह किया हो उसे इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी ।
6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी । प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा

		<p>के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।</p> <p><b>B. Sakshama Yojna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee</li> <li>2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 70000 per year and the Women in the family aged between 18 to 45 years</li> <li>3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years</li> <li>4. The bens must be the original resident of Chhattisgarh state</li> <li>5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme.</li> <li>6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis.</li> </ol>
9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/individual and group basis</p>	<p>1. महिला स्व-सहायता समूह की ऋण योजनांतर्गत - समूह स्तर पर</p> <p>2. महिला स्व-सहायता की ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा एच.आई.व्ही संकमित महिलाओं के लिए ऋण योजना - व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Under the loan scheme - Group level.</li> <li>2. Under Women SHGs loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive.</li> </ol> <p>Lone Scheme - For individual and for Groups</p>

		<p>2. सक्षम योजना अंतर्गत -व्यक्तिगत स्तर पर</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna – Individual level</b></p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । )</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution.</p>	<p><b>1. महिला स्व-सहायता समूह की ऋण</b></p> <p><b>योजनांतर्गत</b> - अनुदान नहीं ऋण प्रदान किया जाता है । 3 प्रतिशत साधारण ब्याज पर व्यक्तिगत स्तर पर रूपये 10,000/- तथा समूह स्तर पर रूपये 1,00,000/- कलेक्टर द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत यौन उत्पीड़ित महिलाओं को तथा एच.आई.व्ही. संकमित महिलाओं को प्रदान किया जाता है । 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी.ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है । (शासी बोर्ड बैठक में निर्णय हेतु प्रस्ताव रखा जाना है ।) प्रथम बार में 50000/- रूपये तक तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 200000/-रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा ।</p> <p>1. Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 3% to individually up to 10,000/- and for Groups up to 1,00,000/- to Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive after passing by collector. The rate of interest is 3% to SHG group &amp; 5.5% to NGO. (Decision is Pending) First time loan is provided for up to Rs 50000/- &amp; if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs 200000/- can be provided to Groups for second time.</p> <p><b>2. सक्षम योजनांतर्गत</b> - कोई अनुदान नहीं दिया जाता है अपितु स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु रूपये 1 लाख तक ऋण प्रदाय किया जाता है ।</p> <p>2. Under the <b>Sakshama Yojna</b> no Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per</p>

		bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.
11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं ।</p> <p>No margin money is required.</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p><b>1. महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत</b> - लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिविधि जो समूह चाहता है ।</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :- Small Business, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Small Scale Industries etc. any economic activity which SHG chooses.</p> <p><b>2. सक्षम योजना अंतर्गत</b> - स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु कोई भी गतिविधि ।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna</b> – Any activity to start their own business.</p>
13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p><b>1. महिला स्व सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत :-</b></p> <p>(1) 50000/- तक ऋण प्रथम बार  (2) 200000/- तक ऋण द्वितीय बार</p> <p>(3) महिला स्व-सहायता की ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा एच. आई.व्ही संकमित महिलाओं के लिए</p> <p>(i) रूपये 10,000/- व्यक्तिगत स्तर पर  (ii) रूपये 1,00,000/- समूह स्तर पर</p> <p>1. Under the loan scheme for women self help groups :-</p>

		<p>(1) 50000/- Loan first time.  (2) 200000/- Loan second time.  (3) Under Women SHGs loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive.</p> <p>(i) 10, 000/- Lone for individual  (ii) 1,00,000/- Groups</p> <p>2. सक्षम योजना अंतर्गत - कोष से प्रदाय किये जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रूपये लगाई गई है। आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से लगा सकते हैं।</p> <p>2. <b>Sakshama Yojna</b> – The maximum limit of the loan provided under this scheme through kosh is Rs 1 lakhs per bens. The bens shall add their own capital for the same up to any extend.</p>
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	नहीं। No
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल) तैयार कर लिये गये हैं। Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	योजना तैयार कर लागू की गई है। Scheme has been formulated.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details, if any	- The copy of the both the scheme are enclosed

## राज्य साख योजना 2017-18

### STATE CREDIT PLAN 2017-18

#### शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

**विभाग का नाम :— कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।**

<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)</p>	<p>“ कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन” अन्तर्गत अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण की योजना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ट्रैक्टर/पावर टिलर क्रय पर अनुदान।</li> <li>(ii) हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित यंत्रों पर अनुदान।</li> </ul> <p>Promotion of Farm Mechanization in Sub mission</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Subsidy on Purchase of Tractor/Power Tiller</li> <li>(ii) Subsidy on Hand Operated/Bullock Driven/Power Driven Agricultural Implements.</li> </ul>
<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?</p>	<p>केन्द्र प्रवर्तित योजना Centrally Sponsored</p>
<p>राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर। Directorate of Agriculture CG Raipur.</p>
<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.</p>	<p>उप संचालक कृषि, कृषि विभाग। By Director Agriculture, Department of Agriculture.</p>
<p>योजना का उद्देश्य。 Objective of the Scheme.</p>	<p>कृषकों को कृषि यांत्रिकीकरण हेतु प्रोत्साहित कर यांत्रिकीकृत खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और श्रम, समय तथा धन की बचत करना।</p> <p>Promotion of Farm mechanization for saving of time of labour of Farmers &amp; increasing the crop production</p>
<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है। This Scheme is being implemented in all districts of State.</p>
<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित हैं।</p> <p>All types of Beneficiaries are covered under the scheme.</p>

8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो Eligible criteria for the beneficiary if any.	योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित हैं। All types of Beneficiaries are covered under the scheme.																													
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.	ट्रैक्टर/ पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सहायता व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। In case of, Tractor/Power Tiller and other agricultural implements subsidy is given on individual basis.																													
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहीयों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए। दर (प्रतिशत) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details</p> <p>Rate (%)</p> <p>Minimum, Maximum</p> <p>GOI Contribution</p> <p>State Government Contribution</p>	<p>कृषि यांत्रिकीकरण समिशन अंतर्गत विभिन्न यंत्रों पर अनुदान देय विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र</th> <th rowspan="2">यंत्र का नाम</th> <th rowspan="2">शक्ति का वितरण</th> <th colspan="2">कृषि यांत्रिकी समिशन अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान</th> </tr> <tr> <th>अन्य वर्ग के हितग्राहीयों हेतु</th> <th>अजा/अजजा/लघु एवं सीमान्त कृषक एवं महिलाओं हेतु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">ट्रैक्टर Tractor</td> <td>8-15 पी.टी.ओ.एच.पी (8-15 PTO hp)</td> <td>25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% of max Rs. 0.75 lakh</td> <td>35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh</td> </tr> <tr> <td>15-20 पी.टी.ओ.एच.पी (15-20 PTO hp)</td> <td>25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% max Rs. 0.75 lakh</td> <td>35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh</td> </tr> <tr> <td>20-40 पी.टी.ओ.एच.पी (Above 20-40 PTO hp)</td> <td>25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh/-</td> <td>35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh/-</td> </tr> <tr> <td>40-70 पी.टी.ओ.एच.पी (40-70 PTO hp)</td> <td>25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh</td> <td>35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">पावर टिलर. Power Tiller</td> <td>8 बी.एच.पी से कम (Below 8 bhp)</td> <td>40% अधिकतम सीमा रु. 0.40 लाख 40% max Rs. 0.40 lakh</td> <td>50% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 50% max. Rs. 0.50 lakh</td> </tr> <tr> <td>8 बी.एच.पी एवं अधिक (Above 8 bhp)</td> <td>40% अधिकतम सीमा रु. 0.60 लाख 40%</td> <td>50% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 50% max. Rs. 0.75 lakh</td> </tr> </tbody> </table>	क्र	यंत्र का नाम	शक्ति का वितरण	कृषि यांत्रिकी समिशन अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान		अन्य वर्ग के हितग्राहीयों हेतु	अजा/अजजा/लघु एवं सीमान्त कृषक एवं महिलाओं हेतु	1	ट्रैक्टर Tractor	8-15 पी.टी.ओ.एच.पी (8-15 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% of max Rs. 0.75 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh	15-20 पी.टी.ओ.एच.पी (15-20 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% max Rs. 0.75 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh	20-40 पी.टी.ओ.एच.पी (Above 20-40 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh/-	35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh/-	40-70 पी.टी.ओ.एच.पी (40-70 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh	2	पावर टिलर. Power Tiller	8 बी.एच.पी से कम (Below 8 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.40 लाख 40% max Rs. 0.40 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 50% max. Rs. 0.50 lakh	8 बी.एच.पी एवं अधिक (Above 8 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.60 लाख 40%	50% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 50% max. Rs. 0.75 lakh
क्र	यंत्र का नाम	शक्ति का वितरण				कृषि यांत्रिकी समिशन अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान																									
			अन्य वर्ग के हितग्राहीयों हेतु	अजा/अजजा/लघु एवं सीमान्त कृषक एवं महिलाओं हेतु																											
1	ट्रैक्टर Tractor	8-15 पी.टी.ओ.एच.पी (8-15 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% of max Rs. 0.75 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh																											
		15-20 पी.टी.ओ.एच.पी (15-20 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 25% max Rs. 0.75 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 35% max Rs. 1.00 lakh																											
		20-40 पी.टी.ओ.एच.पी (Above 20-40 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh/-	35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh/-																											
		40-70 पी.टी.ओ.एच.पी (40-70 PTO hp)	25% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 25% max Rs. 1.00 lakh	35% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 35% max Rs. 1.25 lakh																											
2	पावर टिलर. Power Tiller	8 बी.एच.पी से कम (Below 8 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.40 लाख 40% max Rs. 0.40 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 50% max. Rs. 0.50 lakh																											
		8 बी.एच.पी एवं अधिक (Above 8 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.60 लाख 40%	50% अधिकतम सीमा रु. 0.75 लाख 50% max. Rs. 0.75 lakh																											

			max.Rs. 0.60 lakh	
3	स्वचलित पैडी ड्राइस्प्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	4 rows	40% अधिकतम सीमा रु. 0.75, लाख 40% max Rs. 0.75 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.94 लाख 50% max Rs. 0.94 lakh
	स्वचलित पैडी ड्राइस्प्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	Above 4 rows upto 16 rows	40% अधिकतम सीमा रु. 2.00 लाख 40% of max Rs. 2.00 lakh	
4	स्वचलित रीपर कम बाइंडर Self Reaper cum binder		40% अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख 40% max. Rs 1.00 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख 50% max Rs 1.25 lakh
5	विशेष स्व चलित यंत्र जैसे :- - रीपर, पोस्ट होल डिगर / न्यूमेटिक / अन्य प्लांटर Specialized Self Propelled Machinery :- Reaper post hole, Digger/Augur, Pneumatic/ other planter		40% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 40% max. Rs.0.50 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max Rs. 0.63 lakh
6	ट्रैक्टर/ पावर टिलर चलित यंत्र जैसे :- मोल्ड बोर्ड / डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर, ब्लेड, केज हील, फरो ओपनर, रिजर, लेजर लैंड लेवलर, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाउ Tractor power tiller equipments :- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Herring, leveler, Blade, cage wheel, Furrow opener, Laser Land Leveller, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर/ पावर टिलर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor/ Power Tiller (Below 20 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.12 लाख Max Rs. 0.12 lakh	40% अधिकतम सीमा रु. 0.15 लाख Max Rs 0.15 lakh
7	रोटावेटर, रोटोपल्लर, रिवर्सीबल हाईड्रोलिंक प्लाउ, फरो ओपनर, बंड फार्मर, कास्ट ब्रेकर, रोटो कल्टीवेटर,	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor/ Power Tiller (Below 20 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.35 लाख 40% max. Rs.0.35 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.44 लाख 50% max. Rs.0.44 lakh

		पावर हैरो, Rotavator, Rotopadler, Reversible Hydrolic Plough, Farrow Opener, Bund Farmer, Crust Brecker, Roto Cultivator, Power Harrow,			
8	चीसल प्लाऊ चिसल प्लाऊ Chisel Plough	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor/ Power Tiller ( Below 20 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.08 लाख 50% max. Rs.0.08 lakh	40% अधिकतम सीमा रु. 0.10 लाख 50% max. Rs.0.10 lakh	
9	ट्रैक्टर चलित बोआई, रोपाई, कटाई एवं खुदाई के यंत्र जैसे :— पोस्ट होल डिगर, पोटैटो प्लाटर, पोटैटो डिगर, ग्राउंड नट डिगर स्ट्रीप टिल ड्रील, ट्रैक्टर चलित रीपर, ऑनियन हार्वेस्टर, राईस स्ट्रा चोपर जीरो टिल शीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लाटर, शुगर कन कटर/स्ट्रीपर, प्लाटर सीड ड्रील, मल्टी क्रॉप प्लाटर, जीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लाटर, रिज फैरो प्लाटर, सीड ट्रिटिंग ड्रम, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, Post hole digger, potato planter, patato digger, ground nut digger, strip til drill, tractor drawn reaper, onion harvester, rice straw chopper, zero til seed cum fertilizer drill, raised bed planter, sugar cane cutter/ stripper, seed drill, multi crop planter, zero-till multi crop planter, ridge furrow planter,seed treating	ट्रैक्टर (20—35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor ( Above 20-35 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.15 लाख 40% max. Rs.0.15 lakh	40% अधिकतम सीमा रु. 0.19 लाख 50% max. Rs.0.19 lakh	

		drum,seed cum fertilizer drill.		
10	टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबल सोडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लैइंग, मशीन एक्वा फर्टिसीड ड्रिल, रेजड बेड प्लाटर इनकलाइड प्लेट प्लांटर के साथ एवं सेपर अटैचमेंट, मल्चर, Turbo seeder, Pneumatic Plant, Pneumatic Vegetable Transplanter, Pneumatic Vegetable seeder , Happy seeder , Plastic Malch Lining, Machine Aqua Ferti seed Drill, With Raised Bed Planter Inclined Plate Planter and Separ Attachment, Mulcher	ट्रैक्टर (20-35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor ( Above 20-35 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.35 लाख 40% max. Rs.0.35 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.44 लाख 50% max. Rs.0.44 lakh
11	ट्रैक्टर चलित इटर कल्टीवेशन यंत्र जैसे :- ग्रास बीड सालैसर, राईस स्ट्रा चोपर, पावर बीडर (इंजन आपरेटेड 2 बी.एच. पी. से अधिक) Grass weed slasher, Rice straw chopper, power weeder (engine operated above 2 bhp)	ट्रैक्टर (20-35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor ( Above 20-35 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.15 लाख 40% max. Rs.0.15 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.19 लाख 50% max. Rs.0.19 lakh
12	फसल अवशिष्ट प्रबंधन यंत्र जैसे:- शुगर केन थास कटर,कोकोनट फ्रॉन्ड चोपर, रेक, बैलर, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टेबल सेवर Sugarcane tharsh cutter, coconut frond chopper, rakek, balers, straw reaper, feed block machine stubble shaver		40% अधिकतम सीमा रु. 0.15 लाख 40% max. Rs.0.15 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.19 लाख 50% max. Rs.0.19 lakh

13	ट्रैक्टर चलित गहाई एवं थेसिंग यंत्र जैसे :- ग्राउंड नट पोड स्ट्रीपर, थेसर, मल्टीक्राप थेसर, पैडी थेसर, ब्रश कटर, मैज सेलर, स्पैरल ग्रेडर, रीपर, मूवर, फैलेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर मूवर सेडर Ground nut pod stripper, Thresher/multi crop thresher, paddy thresher, Brush cutter, maize sheller, spiral grader, reaper, mower, flail harvester, infielder, mower shedder	इंजन एवं इलेक्ट्रिक मोटर 5 बी.एच.पी. से कम के पावर टिलर एवं 35 बी.एच.पी. से कम के ट्रैक्टर)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.20 लाख 40% max. Rs.0.20 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.25 लाख 50% max. Rs.0.25 lakh
14	चाफ कटर (Operated by engine/electric motor below 3 to 5 hp & tractor and power tiller below 35 bhp	इंजन एवं इलेक्ट्रिक मोटर 3 से 5 एच.पी. के पावर टिलर एवं 35 बी.एच.पी. से कम के ट्रैक्टर)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.2 लाख 40% max. Rs.0.2 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.25 लाख 50% max. Rs.0.25 lakh
15	ट्रैक्टर चलित यंत्र जैसे : एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्पीवेटर, हैरो, लेवलर लैड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाऊ Tractor equipments :- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Harrow, leveler Blade, cage wheel, Furrow opener, ridger, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर (35 बी.एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.35, लाख 40% max. Rs.0.35 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.44 लाख 50% max. Rs.0.44 lakh
16	ट्रैक्टर चलित यंत्र जैसे : वीड सलैसर, लेजर लैड लेवलर, रोटावेटर रोटो पडलर, रिवर्सीबल,	ट्रैक्टर (35 बी.एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	40% अधिकतम सीमा रु. 0.50, लाख 40% max. Rs.0.50 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max.

				Rs.0.63 lakh	
		<p>हाईड्रोलिक प्लाऊ, बड फार्मर (पी.टी.ओ आपरेटेड) पावर, हैरो (पी.टी.ओ आपरेटेड), बैकहो लोडर डोजर (ट्रैक्टर आपरेटेड) हैरो ओपनर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटो कल्टीवेटर, पावर हैरो</p> <p>Tractor equipments :- Laser land leveller, Rotavator, Rotopuddler, Reversible Hydraulics Plough, Bund Farmer (PTO operated) Power Harrow (PTO Operated), Backhoe Loader Dozer(Tractor.) Harrow opener, crust breaker, roto cultivator, power harrow</p>			
17		<p>ट्रैक्टर चलित, गोआई, रोपाई, कटाई, एवं खुदाई के यंत्र जैसे :- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, रेच्ड बेड प्लाटर, सीडिङ्ग, पोटेटो डिगर, ट्रैक्टर चलित रीपर, ओनियन हार्वेस्टर, सीड ड्रिटिंग ड्रम Tractor drive sowing, Planting, Reaping and Digging</p> <p>Equipments :- Zero till seed cum fertilizer drill, Raised bed planter, Seed Drill, Tractor drawn reaper, Onion Harvester, seed treating drum</p>	<p>ट्रैक्टर (35 बी.एच.पी. से अधिक) ( Above 35 bhp)</p>	<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.35, लाख 40% max. Rs.0.35 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.44 लाख 50% max. Rs.0.44 lakh</p>
18		<p>ट्रैक्टर चलित, गोआई, रोपाई, कटाई, एवं खुदाई के यंत्र जैसे :- पोस्ट होल डिगर, पोटेटो प्लाटर, ग्राउंड नट डिगर, स्ट्रीप टिल ड्रील, राईस स्ट्रा चोपर, शुगर केन कटर/स्ट्रीपर/प्लाटर, मल्टीक्रॉप प्लाटर, जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लाटर, रिज फरो</p>	<p>ट्रैक्टर (35 बी.एच.पी. से अधिक) ( Above 35 bhp)</p>	<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 40% max. Rs.0.50 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max. Rs.0.63 lakh</p>

		<p>प्लांटर, टर्बो सीडर, न्यूमोटिक प्लांटर, न्यूमोटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर, न्यूमोटिक वेजीटेबल सीडर, हैपी सीडर, कसावा प्लांटर, मैन्यूअर स्पैडर, फर्टीलाइजर स्पैडर-पी.टी.ओ. आपरेटर, प्लास्टिक मल्च लैईंग मशीन, आटोमैटेकि राईस नर्सरी सोईंग मशीन, एक्वाफर्टि सीडिल, रेज्ड बेड प्लांटर, इनकलाईंड प्लेट एवं सेपर के साथ, मल्चर</p> <p><b>Tractor drive sowing, Planting, Reaping and Digging Equipments :-</b></p> <p>Post Hole Digger, Potato Planter, Digger Ground nuts digger, strip til Dril, Chopper Rice straw, sugar cane cutter / stripper / planters, Multi crop planter, zero till multicrop planter, ridge furrow planters, Turbo Seeder, pneumatic planter, pneumatic vegetable Transplanter Pneumatic, vegetable Seeder, Happy Seeder, cassava planter, Manuare Spreader, Fertilizer Spreader-PTO Operated, plastic mulch in Laying machine, Automatic Rice nursery Sowing machinery, Aqua ferti seed drill, raised bed planter with Inclined plate planter and Shapr attachment, Mulcher</p>		
19	<p>इंटर कल्टीवेशन यंत्र :-ग्रास/वीड स्लाइसर, राईस स्ट्रां चोपर, वीडर (पी.टी.ओ. आपरेटर)</p> <p>Inter-cultivation equipment :- Grass / Weed slasher, Rice Straw chopper, Weeder (P.T.O. operated)</p>	<p>ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक)</p> <p><b>Tractor ( Above 35 bhp)</b></p>	<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 40% max. Rs.0.50 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max. Rs.0.63 lakh</p>

20	<p>कटाई एवं गहाई यंत्र जैसे : ग्राउंड नट पोड स्ट्रीपर, थेसर/मल्टीक्राप थेसर, पैडी थेसर, चॉप कटर, फोरेज हार्वेस्टर, बर्डस स्कैर, मेज सेलर, स्पैरल ग्रेडर, रीपर, मूवर, फैलेल हार्वेस्टर, इनफिल्डर मूवर स्ट्रेडर</p> <p>Tractor/ Power Operated :-</p> <p>Ground nut pod stripper, Thresher/multi crop thresher, paddy thresher, chaff cutter, forage harvester, birds scarer, maize sheller, spiral grader, reaper, mower, flail harvester, infielder, mower shedder</p>	<p>ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक)</p> <p>Tractor (Above 35 bhp)</p>	<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 40% max. Rs.0.50 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max. Rs.0.63 lakh</p>
21	<p>फसल प्रबंधन यंत्र जैसे— शुगर केन थास कटर, कोकोनट फ्रोन्ड चोपर, हे रेक, बेलस (राउंड), बेलस (रिकूग्लर) तुड़ चीपर्स शुगर केन राटोन मैनेजर, कॉटन स्टाक अपर्लटर, स्ट्रा रीपर, फीड ब्लॉक मशीन, स्टेबल सेवर</p> <p>Sugarcane tharsh cutter, coconut frond chopper, hayrake, balers (Round) balers (ractangular) wood chippers, sugar can ratoon manager, cotton stalk uprooter, straw reaper, feed block machine stubble shaver</p>		<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.50 लाख 40% max. Rs.0.50 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.63 लाख 50% max. Rs.0.63 lakh</p>
22	<p>हस्त चलित/बैल चलित खेत की तैयारी / बोआई यंत्र जैसे :- एम. बी.प्लांज, डिस्क प्लाइ, कल्टीवेटर, हैरो, लेबलर ब्लोड, फरो ओपनर, रीजर, पडलर,</p> <p>Manual/animal drawn land development tillage and seed bed preparation equipments :-</p>		<p>40% अधिकतम सीमा रु. 0.08 लाख 40% max. Rs.0.08 lakh</p>	<p>50% अधिकतम सीमा रु. 0.10 लाख 50% max. Rs.0.10 lakh</p>

	M.B.Plow, Disc plow, cultivator, harrow, leveler blade, furrow opener, ridger, puddler,			
23	हस्त चलित / बैल चलित नोआई / रोपाई के यंत्र जैसे :- पैडी प्लांटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बैड प्लांटर, प्लांटर, डिब्लर, धान रोपाई हेतु नर्सरी तैयार करने के यंत्र, मार्क फॉर एस.आर.आई. सीड ट्रिटिंग ड्रम। <b>Manual/animal drawn sowing and planting equipments :-</b> Paddy planter, seed cum fertilizer drill, Raised bed planter, Planter, Dibbler, Equipments for raising paddy nursery, Marker for SRI, Seed treating Drum	40% अधिकतम सीमा रु. 0.08 लाख 40% max. Rs.0.08 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.10 लाख 50% max. Rs.0.10 lakh	
24	हस्त चलित / बैल चलित ड्रम सीडर (Below 4 row) <b>Manual/animal drawn Drum Seeder (Below 4 row)</b>	40% अधिकतम सीमा रु. 0.012 लाख 40% max. Rs.0.012 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.015 लाख 50% max. Rs.0.015 lakh	
25	हस्त चलित / बैल चलित ड्रम सीडर (Above 4 row) <b>Manual/animal drawn Drum Seeder (above 4 row)</b>	40% अधिकतम सीमा रु. 0.015 लाख 40% max. Rs.0.015 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.019 लाख 50% max. Rs.0.019 lakh	
26	हस्त / बैल चलित गहाई एवं थ्रेसिंग यंत्र जैसे : गाउड नट पोड स्ट्रीपर, थ्रेसर, विनोइंग फेन, ड्री कलाईबर, हार्टिकल्बर हैंड टूल्स, मेज सेलर, फोड ब्लॉक मशीन, स्पैरल ग्रेडर, <b>Manual/animal drawn equipments:-</b> Ground Nut Pod Stripper, threshers, Winnowing fan, tree climber, horticulture hand tools, maize shellers, feed block machine, spiral grader,	40% अधिकतम सीमा रु. 0.08 लाख 40% max. Rs.0.08 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.10 लाख 50% max. Rs.0.10 lakh	

		27	हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3)		40% अधिकतम सीमा रु. 0.04 लाख 40% max. Rs.0.04 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.05 लाख 50% max. Rs.0.05 lakh
		28	हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3)		40% अधिकतम सीमा रु. 0.05 लाख 40% max. Rs.0.05 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.063 लाख 50% max. Rs.0.063 lakh
		29	हस्त / बैल चलित इंटर कल्टीवेशन यंत्र :—ग्रास वीड स्लाईसर, वीडर, कोनो वीडर, गार्डन हेंड टूल्स Inter-cultivation equipment : - Grass Weed slasher, Weeder, conoweede, Garden hand tools		40% अधिकतम सीमा रु. 0.005 लाख 40% max. Rs.0.005 lakh	50% अधिकतम सीमा रु. 0.006 लाख 50% max. Rs.0.006 lakh
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of the beneficiaries.				कोई नहीं Nothing.	
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित हैं। Type of economic activities envisaged under the Scheme.				कोई नहीं Nothing.	
13.	क्या व्यवित्तगत हितग्राही/ समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.				कोई नहीं Nothing.	
14.	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.				कोई नहीं Nothing.	
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए हैं। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.				आवश्यकता नहीं है। Not Required.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any				—	

## शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

- विभाग का नाम:- ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) रायपुर

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable</p>	<p>ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक/ परिवार मूलक कार्यक्रम-योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है-</p> <p>दसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम-</p> <p>अ) दसर धागाकरण योजना</p> <p>Rural Employment beneficiary scheme/Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on-</p> <p>Tasar silk development &amp; Extension Programme</p> <p>(A) Tasar reeling scheme.</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>राज्य शासन एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है।</p> <p>State Government &amp; Government of India (Central sector scheme)</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) Directorate of Rural Industries (Sericulture Division)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementation the Scheme.</p>	<p>ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के अधीनस्थ जिला रेशम अधिकारी</p> <p>District Sericulture Officer.</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे, गरीब परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। रेशम योजना से ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेशम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।</p> <p>The main Objectives are:-</p> <p>To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the Rural areas.</p> <p>To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self employment under sericulture scheme the rural areas.</p>
6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the state? If not, indicate the region/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>दसर रेशम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है।</p> <p>Tasar silk development &amp; extension scheme is being implemented in all districts of the state.</p>

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लद्य कृषक/सीमान्त कृषक/ अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SC/MF/OF/ SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	योजनांतर्गत सीमांत/ भूमिहीन कृषक वर्ग के विशेष रूप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है। Marginal/Landless especially SC/ST & OBC main woman beneficiaries are being benefited by these scheme.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है- टसर धागाकरण- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु। Parameters for the Beneficiaries- Tasar reeling: - For SC/ST/OBC beneficiaries.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Whether assistance is provided on an individual/ group basis or both.	योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है। Both individual & Group Basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये) (Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category wise details Rate (%) Minimum Maximum COI Contribution State Government Contribution)	वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं है। No provision has been made to provide subsidy in the sericulture sector of Rural industries.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नहीं है। टसर धागाकरण- टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग हेतु इकाई लागत रु0 51880/- प्रति इकाई प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा। There is no provision of margin money in this scheme. Tasar Reeling:- Total unit cost of Reeling & Spinning Machines are Rs 51880/- amount burned by beneficiaries through bank loan.

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनांतर्गत अपेक्षित है। Type of economic activities envisaged under the Scheme.	टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग) हेतु बैंक ऋण राशि रु0 51880/- प्रति इकाई। Mank loan amount for Tasar reeling & spinning is Rs 51880/- per unit approved by NABARD.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/ समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हो तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.	उपरोक्तानुसार. As above.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.	हों, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है। Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं। Whether any project profiles, etc. Have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	नहीं No.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any.	निरंक Nil